<u>दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड :: नई दिल्ली</u>
<u>(औद्योगिक संबंध अनुभाग)</u>

<u>एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./ 02076 (खंड-VI) / 2019</u>   18 जून, 2019

<u>परिपत्र सं.: औ.सं./12/2019</u>

विषय: <u>एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा लाभ योजना - 1981 (समय-समय पर संशोधित) की समीक्षा</u>

निदेशक मंडल ने 28.05.2019 को आयोजित अपनी 629वीं बैठक में समय-समय पर संशोधित एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना की समीक्षा की। बोर्ड ने, निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति पर ध्यान से विचार करने के बाद, इस योजना की समीक्षा की और निर्णय लिया कि बड़ी बीमारियों से पीड़ित पूर्व कर्मचारियों को कुछ राहत दी जानी चाहिए। तदनुसार, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना के केवल बड़ी बीमारी के लिए अनुमति देने वाले प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से, 15 मार्च, 2018 से, जिस दिन इस योजना को निलंबित किया गया था, इसे निम्नलिखित व्यापक शर्तों पर बहाल किया जाए :

i) वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों सहित सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल निम्नलिखित प्रमुख जानलेवा बीमारियों के मामले में आईपीडी उपचार की अनुमति देना :

क) कैंसर
ख) गुर्दे की बीमारियाँ
ग) दिल की बीमारियाँ
घ) ब्रेन हेमरेज सहित पक्षाघात
ङ) प्रॉस्टेट ग्रंथि संबंधी बीमारी

ii) पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रमुख जानलेवा बीमारियों के लिए पैनल के अस्पतालों में यथा लागू सीजीएचएस दरों/शुल्क की अनुसूची (एसओसी) पर आईपीडी उपचार कराया जा सकता है। यदि गैर-पैनल के अस्पताल से उपचार का लाभ उठाया जाता है तो सीजीएचएस दरों पर निपटान किया जाएगा। यदि इलाज/परीक्षण सीजीएचएस सूची में शामिल नहीं है, तो मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, दिल्ली/एनसीआर की अनुमोदित एसओसी के अनुसार निपटान किया जा सकता है ।

iii) पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रमुख जानलेवा बीमारियों के लिए निम्नलिखित वार्षिक स्लैब-वार आईपीडी उपचार सीमा लागू होगी :

पूर्व कर्मचारी का अंतिम पदनाम	प्रति वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार वार्षिक सीमा
पूर्व निदेशक/पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	₹ 10.00 लाख
पूर्व संयुक्त महाप्रबंधक से पूर्व अधिशासी निदेशक तक	₹ 8.20 लाख
पूर्व सोम-II/पूर्व-सहायक प्रबंधक से पूर्व उप महाप्रबंधक तक	₹ 6.90 लाख
पूर्व ग्रेड-I से पूर्व सोम-I तक	₹ 5.00 लाख

iv) जिस अवधि के दौरान चिकित्सा लाभ को निलंबित कर दिया गया था, उस अवधि के लिए प्रमुख बीमारी से संबंधित आईपीडी दावों की प्रतिपूर्ति की अनुमति अस्पताल में भर्ती के समर्थक दस्तावेजों के साथ उचित दावों के साथ वैध समर्थक पर्चे और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

v) कठिनाई, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए और बड़ी बीमारी के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने के लिए, सीएमडी इस मामले में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, ताकि किसी भी कारण से सेवानिवृत्त कर्मचारी(यों) को प्रमुख बीमारी से संबंधित प्रतिपूर्ति वर्जित न हो।

2 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

टी. केरकेट्टा

(टी. केरकेट्टा)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

<u>वितरण:</u>

- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय

(उपर्युक्त तीनों) ई-मेल द्वारा

- संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त) (स्था. व लेखा) - हार्ड कॉपी
- चिकित्सा अनुभाग - हार्ड कॉपी
- सूचना पट्ट - हार्ड कॉपी
- वेबसाइट

<u>प्रतिलिपि</u>

- सी.एम.डी. के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव

प्रतिलिपि इनको भी: एसटीसी पूर्व कर्मचारी कल्याण संघ, 72-डी, पॉकेट-III, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

STC/CO/PER/IR/02076(Vol-VI)/2019 June 18th, 2019

Circular No: IR/12/2019

Subject: Review of STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme - 1981 (as amended from time to time)

The Board of Directors reviewed the STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme as amended from time to time in its 629th meeting held on 28.05.2019. The Board, after carefully considering the precarious financial condition of the Corporation, reviewed the scheme and decided that some relief needs to be given to ex-employees suffering from major ailments. Accordingly, the Board has decided that the STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme enabling provisions for only major illness to be restored with retrospective effect from March 15, 2018, the day the scheme was suspended, on the following broad terms:

i) To allow IPD treatment to all eligible Retired Employees including VRS optees, only in case of following major life threatening diseases:
   a) Cancer
   b) Kidney ailments
   c) Heart ailments
   d) Paralysis including brain hemorrhage
   e) Prostate related ailments

ii) IPD treatment for major life threatening diseases may be availed by the eligible retired employees at empanelled hospitals at CGHS rates/Schedule of Charges (SOC) as applicable. In case treatment is availed from non-empanelled hospital then settlement will be made at CGHS rates. In case the treatment/test is not covered in CGHS list, then settlement may be made as per approved SOC of Max Group of Hospitals, Delhi/NCR.

iii) The following annual slab-wise IPD treatment ceiling applicable for above major life threatening diseases for eligible retired employees:

Last Designation held by an ex-employee	Annual ceiling per family per financial year
Ex-Directors/Ex-CMD	Rs. 10.00 Lakhs
Ex-Jt. GMs to Ex- ED	Rs. 8.20 Lakhs
Ex-SOM-II/Ex-AMs to Ex-DGMs	Rs. 6.90 Lakhs
Ex-Grade-I to Ex-SOM-I	Rs. 5.00 Lakhs

iv) The IPD claims pertaining to major illness for the period during which the medical benefit was suspended, will be allowed for reimbursement on submission of supporting documents of the hospitalization including proper claims with valid supportive prescription and other related documents.

v) In order to remove the difficulty, if any, and for enabling reimbursement of the medical expenses towards major illness, CMD is fully authorized to decide in the matter so that due to any reason reimbursement related with major illness, to retired employee(s) is not barred.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Pers.)

Distribution:

- All CGMs/GMs } e-mail
- All Branch Managers } e-mail
- All Divisional Heads, CO } e-mail
- JGM(F) (A&E) – Hard Copy
- Medical Section – Hard Copy
- Notice Board – Hard Copy
- Website

Copy to:

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Director(Personnel)
- Exe. Secy to Director(Finance)
- Exe.Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy to CVO

Copy also to: STC Ex-employees Welfare Association, 72-D, Pocket – III, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091.